ए.

मेसर्स सुपर मॉल प्राइवेट लिमिटेड

वी.

आय कर के प्रधान आयुक्त 8,

नई दिल्ली

(2020 की सिविल अपील संख्या 2006-2007) 05 मार्च, 2020

बी.

[अशोक भूषण और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961 -s.153C-निर्धारिती-कंपनी के निदेशक (तलाशी लेने वाले व्यक्ति) के आवासीय/व्यावसायिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया-एक पेन ड्राइव पाया गया और जब्त किया गया-कुछ दस्तावेज जब्त किए गए जिनमें निर्धारिती-कंपनी में दुकानों/कार्यालयों की बिक्री पर नकद प्राप्तियों का विवरण था-निर्धारिती यू/एस को जारी किया गया नोटिस।153 सी द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा, जो संयोग से निर्धारिती और खोजे गए व्यक्ति के लिए समान था-निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए मूल्यांकन-निर्धारण आदेश ने यह तर्क देते हुए मूल्यांकन वर्ष के लिए विवरणी दाखिल की कि उस संतुष्टि नोट को यू/एस दर्ज किया गया है।153 सी. डब्ल्यू. आर. टी. निर्धारिती, अर्थात, एक तीसरा पक्ष, अमान्य था-सी. आई. टी. (अपील) द्वारा खारिज-आई. टी. ए. टी. द्वारा स्वीकृत निर्धारिती की अपील-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत राजस्व की अपील-आयोजितःयू/एस नोटिस जारी करने से पहले।153 ग, तलाशी लिए गए व्यक्ति के निर्धारण अधिकारी को "संतुष्ट" होना चाहिए कि, अन्य बातों के साथ-साथ, कोई भी दस्तावेज जब्त या अधिग्रहित "तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का है-ऐसी संतुष्टि दर्ज करने के बाद, वह रिकॉर्ड/दस्तावेज/कागजात आदि ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र वाले निर्धारण अधिकारी को भेज सकता है-उक्त संतुष्टि प्राप्त करने के बाद और ऐसे अन्य व्यक्ति से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेजों की जांच करने पर, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी यू/एस मूल्यांकन को पूरा करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है।158 बी. डी.-दो संभावनाएं हो सकती हैं-तलाशी लिए गए व्यक्ति का आकलन अधिकारी दूसरे व्यक्ति के आकलन अधिकारी से अलग होता है; तलाशी लिए गए व्यक्ति का आकलन अधिकारी और

दूसरा व्यक्ति एक ही होता है-जहां आकलन अधिकारी अलग होता है, वहां तलाशी लिए गए व्यक्ति के आकलन अधिकारी द्वारा एक संतुष्टि पत्र होगा, जिसे तब जब्त किए गए दस्तावेजों को दूसरे व्यक्ति के आकलन अधिकारी को प्रेषित करने की आवश्यकता होती है-साथ ही वह अपना संतुष्टि पत्र भेजेगा और तलाशी लिए गए व्यक्ति की फाइल में एक नोट भी बनाना होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

676 ए.

677

मेसर्स सुपर मॉल प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 8, नई दिल्ली ए

कि उसने ऐसा किया है-हालाँकि, यदि निर्धारण अधिकारी वही है, तो निर्धारण अधिकारी द्वारा संतुष्टि नोट में यह नोट करना पर्याप्त है कि तलाशी लिए गए व्यक्ति से जब्त किए गए दस्तावेज दूसरे व्यक्ति के थे-एक बार नोट में ऐसा कहने के बाद, एस की आवश्यकता होगी। 153 ग पूरा हो जाता है-इस प्रकार जब्त किए गए दस्तावेजों को प्रेषित करने की दूसरी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी भी होगा-वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि एस की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।153 सी का अनुपालन नहीं किया गया-उच्च न्यायालय ने एस की उस आवश्यकता को देखते हुए न्यायसंगत ठहराया।153 ग को पूरा किया गया-आई. टी. ए. टी. कानून के अनुसार जल्द से जल्द गुण-दोष के आधार पर अपीलों का नए सिरे से निर्णय और निपटान करेगा।

बी.

सी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना:**1.1** आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा **153** सी के तहत नोटिस जारी करने से पहले**,** तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को "संतुष्ट" होना चाहिए कि**,** अन्य बातों के साथ**-**साथ**,** जब्त या "अधिग्रहित" कोई भी दस्तावेज तलाशी लिए गए व्यक्ति

के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का है।कि इसके बाद, तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी संतुष्टि दर्ज करने के बाद, वह रिकॉर्ड/दस्तावेज/चीजें/कागजात आदि ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है।उपरोक्त संतुष्टि की प्राप्ति के बाद और ऐसे अन्य व्यक्ति से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा **158** बीडी के तहत मूल्यांकन को पूरा करने के उद्देश्य से एक नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है और अध्याय **XIV-B** के अन्य प्रावधान लागू होंगे।उपरोक्त आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।दो संभावनाएँ हो सकती हैं।ऐसा हो सकता है कि तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी से अलग हो और दूसरी घटना में, तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी और दूसरा व्यक्ति एक ही हो। जहां तलाशी लिए गए व्यक्ति का आकलन अधिकारी दूसरे व्यक्ति के आकलन अधिकारी से अलग है, वहां तलाशी लिए गए व्यक्ति के आकलन अधिकारी द्वारा एक संतोष पत्र होगा और इसके बाद तलाशी लिए गए व्यक्ति के आकलन अधिकारी से इस तरह जब्त किए गए दस्तावेजों को दूसरे व्यक्ति के आकलन अधिकारी को प्रेषित करने की आवश्यकता होगी। तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

साथ ही अपना संतुष्टि पत्र दूसरे व्यक्ति के निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तलाशी लिए गए व्यक्ति की फाइल में यह भी नोट करना आवश्यक है कि उसने ऐसा किया है।हालांकि, उस मामले में जहां तलाशी लेने वाले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का आकलन अधिकारी एक ही है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संतोष नोट में यह नोट करना पर्याप्त है कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति से जब्त किए गए दस्तावेज दूसरे व्यक्ति के थे।एक बार जब नोट ऐसा कहता है, तो अधिनियम की धारा **153** सी की आवश्यकता पूरी हो जाती है।तलाशी लिए गए व्यक्ति से इस तरह जब्त किए गए दस्तावेजों को प्रेषित करने की दूसरी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं तलाशी लिए गए व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी होगा और इसलिए इस तरह के जब्त किए गए दस्तावेजों को खुद को प्रेषित करने का कोई सवाल ही नहीं है।यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों में अधिनियम की धारा **153** सी की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था।**[**पैरा **6,6.1** और **6.2] [682-**जी**-**एच**; 683-**बी**-**एच**; 684-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

आयकर आयुक्त बनाम कलकत्ता निटवियर

डी.

(2014) 6 एससीसी **444:[2014] 5** एस**.** सी**.** आर**. 855-**पर निर्भर।

पेप्सी फूड प्राइवेट लिमिटेड बनामसहायक आय आयुक्त

कर 2014 (367) आई. टी. आर. 112 (दिल्ली); गणपति फिनकैप

सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त **2017**

(395) आईटीआर **692 (**दिल्ली**)-**स्वीकृत।

ई.

आयकर आयुक्त बनाम बिपिनचंद्र चिमनलाल

दोशी 2017 (395) आई. टी. आर. 632 (गुजरात)-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2014] 5 एससीआर **855**

उस पर भरोसा करें

पैरा **3.2**

एफ.

(2014) 367 आई**.** टी**.** आर**. 112 (**दिल्ली**)** अनुमोदित पैरा **3.2 (2017) 395** आई**.** टी**.** आर**. 632 (**गुजरात**)** निर्दिष्ट पैरा **3.2 (2017) 395** आई**.** टी**.** आर**. 692 (**दिल्ली**)** अनुमोदित पैरा **3.2**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील Nos.2006-2007।

जी.

आई. टी. ए. No.453/2016 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.11.2016 और 13.01.2017 के निर्णय और आदेश से और आई. टी. ए. No.453/2016 में क्रमशः समीक्षा याचिका No.16/2017 से।

एच.

ए.

आर. पी. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, सम्राट निगम, सुश्री प्रेरणा मेहता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती रेखा पांडे, बालाजी श्रीनिवासन, Mrs.Anil कटियार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

एम. आर. शाह, जे.

1. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, और सामान्य निर्धारिती के संबंध में होता है, लेकिन विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में, इन सभी अपीलों पर इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ निर्णय लिया जा रहा है।

सी.

2. सुविधा के लिए, मूल्यांकन वर्ष के लिए आई. टी. ए. संख्या 453/2016 और समीक्षा याचिका संख्या 16/2017 से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 8449-8450/2017 से उत्पन्न नागरिक अपीलों के तथ्य बताए जाते हैं और उन पर विचार किया जाता है।संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:2.1 आयकर निदेशक (जांच), चंडीगढ़ के प्राधिकरण के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (1) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत करनाल, पानीपत और दिल्ली में श्री तेजवंत सिंह और श्री वेद प्रकाश भारती समूह की कंपनियों के आवासीय/व्यावसायिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया।कर्नाल और नई दिल्ली में मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड-निर्धारिती के व्यावसायिक परिसरों में भी अधिनियम की धारा 133 ए के तहत एक सर्वेक्षण किया गया था।मैसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड के निदेशक श्री वेद प्रकाश भारती के आवास पर 8/9.04.2010 पर तलाशी के दौरान श्री वेद प्रकाश भारती के आवास के सामने खड़े वाहन से पेन ड्राइव बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया।कि उपरोक्त पेन ड्राइव से प्रिंट निकालने के बाद कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे।उक्त दस्तावेजों में अन्य चिंताओं के अलावा मेसर्स सुपर मॉल, करनाल में दुकानों/कार्यालयों की बिक्री पर नकद प्राप्तियों का विवरण भी था।कि उपरोक्त तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 153 सी के तहत निर्धारिती-मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) को एक नोटिस जारी किया गया था।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संयोग से ऐसा हुआ कि निर्धारिती के मूल्यांकन अधिकारी

और तलाशी लेने वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन अधिकारी-तेजवंत सिंह और वेद प्रकाश भारती एक ही थे।निर्धारिती ने मूल्यांकन वर्ष 2008-09 के लिए अपना विवरणी दाखिल किया। निर्धारण वर्ष 2008 के लिए मूल्यांकन -

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

09 मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और मूल्यांकन वर्ष 2008-09 में परिवर्धन किए गए थे।निर्धारण आदेश आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील का विषय था।मूल्यांकन आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि निर्धारिती, यानी किसी तीसरे पक्ष के संबंध में अधिनियम की धारा 153 सी के तहत दर्ज संतुष्टि नोट अमान्य था।कि विद्वत सी. आई. टी. (अपील) ने निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया।तथापि, विद्वत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'आई. टी. ए. टी.') ने निर्धारिती द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती, अर्थात किसी तीसरे पक्ष के संबंध में अधिनियम की धारा 153 सी के तहत दर्ज किया गया संतुष्टि नोट अमान्य था।उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि अधिनियम की धारा 153 सी का अनुपालन किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मूल्यांकन अधिकारी का यह संतोष दर्ज करना उचित था कि इस प्रकार जब्त किए गए दस्तावेज निर्धारिती के थे।नतीजतन, उच्च न्यायालय ने विद्वान आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और गुण-दोष के आधार पर अपीलों पर नए सिरे से सुनवाई करने के लिए मामले को विद्वान आई. टी. ए. टी. को भेज दिया है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान आई. टी. ए. टी. ने विद्वान सी. आई. टी. (अपील) द्वारा पारित आदेश को पूरी तरह से संतोष नोट अमान्य होने और गुण-दोष में दर्ज नहीं होने पर रद्द कर दिया।इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 153 सी के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए संतुष्टि नोट के संबंध में आई. टी. ए. टी. के निर्णय को रद्द कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

बी.

सी.

डी.

ई.

2.2 इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह अधिनियम की धारा 153 सी के तहत आवश्यक निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए संतुष्टि नोट के संबंध में है। 3.निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. भट्ट ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

एफ.

3.1 कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 153 सी के प्रावधानों का पालन किया है; वर्तमान मामले में तलाशी लेने वाले पक्ष के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कोई संतुष्टि नोट नहीं था।कि अधिनियम की धारा 153 सी की योजना के अनुसार, तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी, यानी इस मामले में निदेशकों को सबसे पहले "संतुष्ट" होना चाहिए कि कोई भी धन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं, लेखा पुस्तकें या दस्तावेज ए

जी.

एच.

681

मेसर्स सुपर मॉल प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 8, नई दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जब्त या अधिग्रहित "संबंधित", अर्थात, इस मामले में, निर्धारिती कंपनी, अधिनियम की धारा 153 ए के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद और यह संतुष्ट होने पर कि इस प्रकार जब्त या अधिग्रहित लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या परिसंपत्तियां तलाशी लिए गए व्यक्ति के निर्धारण अधिकारी, यानी इस मामले में निदेशकों द्वारा ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी, यानी निर्धारिती कंपनी को सौंप दी जाएंगी।कि अधिनियम की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने से पहले उपरोक्त आवश्यकताओं को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के संदर्भ में अनिवार्य माना जाता है।आयुक्त के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर रिलायंस रखा गया है

बी.

आयकर बनाम कलकत्ता निटवियर (2014) 6 एस. सी. सी. 444; पेप्सी फूड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय बनाम.सहायक आयकर आयुक्त 2014 (367) आईटीआर 112 (दिल्ली); निर्णय

सी.

आयकर आयुक्त के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय

v. बिपिनचंद्र चिमनलाल दोशी 2017 (395) आईटीआर 632 (गुजरात);

और गणपति फिनकैप के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त 2017 (395) आईटीआर 692 (दिल्ली);

डी.

3.3 यहां तक कि सीबीडीटी ने भी एक परिपत्र जारी किया जिसमें अधिनियम की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यकताओं को समझाया गया था। यह कि उक्त परिपत्र को गणपति फिनकैप (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया है और उस पर विचार किया गया है और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया है कि जब "अन्य व्यक्ति" के खिलाफ अधिनियम की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव है, तो उससे पहले तलाशी लेने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा एक संतुष्टि नोट देना होगा।यह आगे देखा गया है कि वह अपने संतोष पत्र में दर्ज करेगा कि जब्त किए गए दस्तावेज "अन्य व्यक्ति" के हैं।कि वर्तमान मामले में तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कोई संतुष्टि पत्र नहीं था।यह कि अधिनियम की धारा 153 सी के प्रावधानों के साथ-साथ सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र का भी पालन नहीं किया गया है और इसलिए आई. टी. ए. टी. ने मूल्यांकन आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

ई.

एफ.

जी.

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. राजस्व की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए दृढ़ता से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और उसके बाद

एच.

निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित संतुष्टि नोट पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 153 सी का पर्याप्त अनुपालन है। समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

4.1 कि वर्तमान मामले में, निर्धारिती का मूल्यांकन अधिकारी और तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी एक ही था और इसलिए यदि कोई संतुष्टि नोट को देखता है, तो यह देखा जा सकता है कि तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा भी एक संतुष्टि नोट है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि मूल्यांकन अधिकारी वही था, इसलिए उसके बाद तलाशी लिए गए व्यक्ति से जब्त किए गए दस्तावेजों को किसी अन्य मूल्यांकन अधिकारी को प्रेषित करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वह स्वयं तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी होने के साथ-साथ निर्धारिती का मूल्यांकन अधिकारी भी था।इसलिए, अधिनियम की धारा 153 सी के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन था।

बी.

सी.

4.2 यह कि जैसा कि गणपति फिनकैप (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, यदि तलाशी लेने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी और दूसरा व्यक्ति समान है, तो तलाशी लेने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दो अलग-अलग संतुष्टि नोट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जहां वह दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी भी है।

डी.

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

ई.

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

5.1 जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 153 सी के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और अधिनियम की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले जिन सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, वे पूरी हो गई हैं या नहीं?6. इस न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 153 सी की योजना और कलकत्ता निटवियर (ऊपर)

के मामले में अधिनियम की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने से पहले पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने/पालन करने के साथ-साथ पेप्सी फूड प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने का अवसर था।जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने से पहले, तलाशी लेने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को "संतुष्ट" होना चाहिए कि, अन्य बातों के साथ-साथ, जब्त या "अधिग्रहित" कोई भी दस्तावेज तलाशी लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का है।वह ए

एफ.

जी.

एच.

683

इसके बाद, तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसी संतुष्टि दर्ज करने के बाद, वह ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को रिकॉर्ड/दस्तावेज/चीजें/कागजात आदि भेज सकता है।उपरोक्त संतुष्टि की प्राप्ति के बाद और ऐसे अन्य व्यक्ति से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 158 बीडी के तहत मूल्यांकन को पूरा करने के उद्देश्य से एक नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है और अध्याय XIV-B के अन्य प्रावधान लागू होंगे।

बी.

6.1 यह विवादित नहीं हो सकता है कि उपरोक्त आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है।दो संभावनाएँ हो सकती हैं।ऐसा हो सकता है कि तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी से अलग हो और दूसरी घटना में, तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी और दूसरा व्यक्ति एक ही हो।जहाँ तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी से अलग है, वहाँ तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा एक संतोष पत्र होगा और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि उसके बाद तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी से इस तरह जब्त किए गए दस्तावेजों को दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को प्रेषित करने की आवश्यकता है।तलाशी लिए गए व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को दस्तावेजों को प्रेषित करते समय एक साथ दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को अपना संतुष्टि पत्र भेजना होगा और तलाशी लिए गए व्यक्ति की फाइल में यह भी नोट करना होगा कि उसने ऐसा किया है।

हालाँकि, जैसा कि गणपति फिनकैप (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, वही प्रशासनिक सुविधा के लिए है और तलाशी लेने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संतुष्टि पत्र तैयार करने और दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को दस्तावेज़ भेजने के बाद, तलाशी लेने वाले व्यक्ति की फ़ाइल में एक नोट बनाने के लिए, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम की धारा 153 सी के तहत पूरी कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा।साथ ही, तलाशी लेने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संतोष पत्र कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति से तलाशी और जब्ती के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज आदि दूसरे व्यक्ति के थे और ऐसी सामग्री को दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य है।हालांकि, उस मामले में जहां तलाशी लेने वाले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का आकलन अधिकारी एक ही है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संतोष नोट में यह नोट करना पर्याप्त है कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति से जब्त किए गए दस्तावेज दूसरे व्यक्ति के थे।एक बार जब नोट ऐसा कहता है, तो अधिनियम की धारा 153 सी की आवश्यकता पूरी हो जाती है।मामले में, जहां तलाशी लेने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी और

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अन्य व्यक्ति वही है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एक संतुष्टि पत्र हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं तलाशी लिए गए व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी है और दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी भी है।हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उसे सचेत और संतुष्ट होना चाहिए कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति से जब्त/बरामद किए गए दस्तावेज दूसरे व्यक्ति के थे।ऐसी स्थिति में, संतुष्टि नोट दूसरे व्यक्ति के लिए होगा।तलाशी लिए गए व्यक्ति से इस तरह जब्त किए गए दस्तावेजों को प्रेषित करने की दूसरी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं तलाशी लिए गए व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन अधिकारी होगा और इसलिए इस तरह के जब्त किए गए दस्तावेजों को खुद को प्रेषित करने का कोई सवाल ही नहीं है।

बी.

सी.

6.2.आइए अब हम वर्तमान मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए संतुष्टि नोट पर विचार करें।अधिनियम की धारा 153 सी का पर्याप्त अनुपालन है या नहीं।संतुष्टि नोट इस प्रकार हैः

“नाम और पता

डी.

निर्धारिती

:मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड सेक्टर 12, हुडा, करनाल

रेग.51, ट्रांसपोर्ट में कार्यालय

केंद्र

ई.

पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

पैन

:ए. ए. आई. सी. एस. 2163 एफ

स्थिति

:कंपनी

मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड सेक्टर-12, हुडा, करनाल रेग्युलेशन का मामला उठाने के लिए कारण/संतुष्टि नोट।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत 51, परिवहन केंद्र, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में कार्यालय।

एफ.

इस मामले का अधिकार क्षेत्र आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 127 के तहत आयकर-III नई दिल्ली के योग्य आयुक्त द्वारा एफ. नं. CITIII/दिल्ली/केंद्रीकरण/1012-1312455 दिनांक 15.01.2013।

जी.

आयकर निदेशक (जांच), चंडीगढ़ के प्राधिकरण के आधार पर अधिनियम की धारा 132 (1) के तहत श्री के आवासीय/व्यावसायिक परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। तेजवंत सिंह और श्री. वेद प्रकाश भारती ग्रुप ऑफ ए

मामले, करनाल, पानीपत और दिल्ली और आई. टी. की धारा 133 ए के तहत एक सर्वेक्षण। अधिनियम, 1961 मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड करनाल और नई दिल्ली के व्यावसायिक परिसरों में भी लागू किया गया था।श्री के निवास पर 08/09.04.2010 पर खोज के दौरान। वेद प्रकाश भारती, जो निर्धारिती कंपनी मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड में निदेशक हैं, के पेन ड्राइव वाहन संख्या 3 से अनुलग्नक-3 के अनुसार पाए गए और जब्त किए गए। एच. आर. 06 एन-0063 श्री के आवास के सामने खड़ा है। वेद प्रकाश भारती।उपरोक्त पेन ड्राइव का प्रिंट आउट लेने के बाद अनुलग्नक ए-1 के अनुसार कुछ दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया।इन दस्तावेजों में अन्य चिंताओं के अलावा मेसर्स सुपर मॉल, करनाल में दुकान/कार्यालयों की बिक्री पर नकद रसीद का विवरण भी है।मूल्यांकन कार्यवाही के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।श्री के वक्तव्य के दौरान। तलाशी के समय वेद प्रकाश भारती ने यह भी कहा है कि ये दस्तावेज उनके और मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड, करनाल से संबंधित हैं, जिसमें वह निदेशक हैं।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम की धारा 153 सी की उप-धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि श्री के निवास से जब्त किया गया दस्तावेज़। वेद प्रकाश भारती धारा 153 ए में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति यानी सुपर मॉल (पी) लिमिटेड से संबंधित है। तदनुसार, ऐसे व्यक्ति (मेसर्स सुपर मॉल (पी) लिमिटेड) को नोटिस जारी करने और अधिनियम की धारा 153 ए के प्रावधान के अनुसार आय का आकलन और पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

तारीखः22.02.2013

एसडी/-

(वेद प्रकाश कालिया) "

उपरोक्त संतुष्टि नोट से यह पता चलता है कि निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हैं कि मेसर्स सुपर मॉल, करनाल में दुकान/कार्यालयों की बिक्री पर नकद प्राप्तियों के विवरण वाले दस्तावेज दूसरे व्यक्ति-निर्धारिती-मेसर्स सुपर मॉल के थे।वह इस बात से भी संतुष्ट हैं कि तलाशी लेने

वाले व्यक्ति से दस्तावेज/पेन ड्राइव जब्त कर लिए गए हैं।वह इस बात से भी संतुष्ट हैं कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति/वेद प्रकाश भारती के आवास से जब्त किए गए दस्तावेज निर्धारिती-दूसरे व्यक्ति के थे।इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट था और यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार जब्त किए गए दस्तावेज निर्धारिती-दूसरे व्यक्ति के थे।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 153 सी की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है।निर्धारण अधिकारी द्वारा संतोष पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार जब्त किए गए दस्तावेज दूसरे व्यक्ति के थे-निर्धारिती और तलाशी लेने वाले व्यक्ति के नहीं।

एफ.

जी.

एच.

686

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 4 एस सी आर।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह कहना उचित है कि धारा 153 सी की आवश्यकता को पूरा किया गया है।तथ्यों पर, हम अधिनियम की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 153 सी की आवश्यकता को पूरा करने पर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये सभी आवेदन विफल हो जाते हैं और वे खारिज किए जाने के योग्य होते हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।अब, विद्वत आई. टी. ए. टी. उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णयों और आदेशों में देखे गए कानून के अनुसार, जल्द से जल्द, गुण-दोष के आधार पर अपीलों का नए सिरे से निर्णय और निपटान करेगा।

बी.

सी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.